भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2303
12.03.2026 को उत्तर के लिए

हिमालयी क्षेत्र का पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील होना

2303. श्रीमती सागरिका घोषः

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में वृक्ष आवरण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से भारतीय हिमालयी क्षेत्र की कार्बन पृथक्करण क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि वन क्षेत्रों में हरियाली में वृद्धि वनों की क्रमिक वृद्धि का संकेत नहीं देती है;

(घ) क्या भारतीय हिमालयी क्षेत्र में मृदा नमी में उल्लेखनीय कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या वर्ष 2019 से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में नदियों के सूखने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून वन और वृक्ष आवरण, कार्बन स्टॉक का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित होते हैं।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र नामत: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, इन राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों में वनावरण की तुलना में वर्ष 2021 में 15,427.11 वर्ग किलोमीटर, वर्ष 2023 में यह 15,075.50 वर्ग किलोमीटर है।

आईएसएफआर 2023 में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 3273.10 मिलियन टन आंका गया है, जबकि आईएसएफआर 2021 में यह 3272.68 मिलियन टन था।

(ग) से (ड.) वन पारिस्थितिक स्वास्थ्य केवल वन क्षेत्रों की हरियाली से ही नहीं बल्कि कई पारिस्थितिक और जैवभौतिक मापदंडों से भी प्रभावित होता है राष्ट्रीय वन सूची के अंतर्गत, भारतीय वन सर्वेक्षण विभिन्न मापदंडों पर जानकारी एकत्र करता है, जैसे - वन के अनुकूल परिस्थितियाँ (मिट्टी की गहराई, ह्यूमस, मृदा जैविक कार्बन, मृदा अपरदन तथा भूमिगत वनस्पति की स्थिति); वन वनस्पति की विशेषताएँ (वन समूह की उत्पत्ति, पुनर्जनन की तीव्रता, आकार वर्ग, फसल संरचना, कैनोपी परत तथा आधार क्षेत्रफल); तथा वनों को खतरे (वनाग्नि, फसल को क्षति, चराई की घटनाएँ, जैविक प्रभाव, अवांछनीय प्रजातियाँ, अवैध कटाई, छाल उतारना तथा शाखाओं की छंटाई)। ये विशेषताएँ एक दूसरे पर निर्भर हैं और किसी एक समय पर वनों की पारिस्थिति निर्धारित करती हैं व इन्हें आईएसएफआर 2023 में प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त सर्वेक्षण में मिट्टी की नमी का आकलन शामिल नहीं है।
